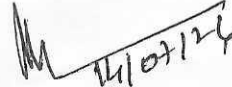


कार्यालय जनपद न्यायाधीश, गोरखपुर। (नजारत अनुभाग)

कोषागार निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या-4247/कम्प्यू./150/जी.एस. टी./को.नि./2018 दिनांकित 20.02.2018 में दिये गये दिशा निर्देशों के अनुपालन में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 में जनपद न्यायालय, गोरखपुर के प्रयोगार्थ क्रय किये जाने वाले वस्तुओं एवं सेवाओं के देयकों के भुगतान पर नियमानुसार टी.डी.एस. की कटौती करते हुए जी.एस.टी. को भुगतान इस न्यायिक प्रतिष्ठान द्वारा किया जाना है। जी.एस.टी. को भुगतान किये जाने से पूर्व जी.एस.टी. का पंजीकरण कराये जाने एवं जी.एस.टी. रिटर्न भरने हेतु Tax Consultant/C.A. की सेवा प्राप्त करने के लिए कोटेशन आमंत्रित किया जाता है।

अतः इच्छुक Tax Consultant/C.A. केन्द्रीय नजारत जनपद न्यायालय, गोरखपुर में दिनांक 20.07.2026 तक अपना कोटेशन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

दिनांक- 14.07.2026


(नन्द कुमार)

प्रभारी अधिकारी नजारत/
विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधि.) कोर्ट सं.-04,
जनपद न्यायालय, गोरखपुर।

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित-

- 1- नाजिर, आयुक्त कार्यालय, गोरखपुर।
- 2- नाजिर, सदर कलेक्ट्रेट, गोरखपुर।
- 3- नाजिर, तहसील सदर, गोरखपुर।
- 4- मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम, गोरखपुर।
- 5- मुख्य विकास अधिकारी, विकास भवन, गोरखपुर।
- 6- सूचना पट्ट, जनपद न्यायालय, गोरखपुर पर चस्पा करने हेतु।
- 7- रेलवे जंक्शन, गोरखपुर के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
- 8- बस स्टेशन, गोरखपुर के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
- 9- सिस्टम ऑफिसर, जनपद न्यायालय, गोरखपुर को माननीय उच्च न्यायालय एवं जनपद न्यायालय, गोरखपुर की आधिकारिक वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।